O.S.

रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 44] नई दिल्ली, नवम्बर 3—नवम्बर 9, 2019, शनिवार/कार्तिक 12—कार्तिक 18, 1941

No. 44] NEW DELHI, NOVEMBER 3— NOVEMBER 9, 2019, SATURDAY/KARTIKA 12— KARTIKA 18, 1941

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 31 अक्तूबर, 2019

सा.का.नि. 335.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डॉ0 राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में कनिष्ठ फॉटोग्राफर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** .— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, कनिष्ठ फॉटोग्राफर (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

नई दिल्ली, 31 अक्तूबर, 2019

सा.का.नि. 336.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली (कार्यालय अधीक्षक) भर्ती नियम, 1991 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली में कार्यालय अधीक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली (कार्यालय अधीक्षक) भर्ती नियम, 2019 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है:

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
कार्यालय अधीक्षक	*04(चार) (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 (रु. 35400-112400)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति** : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	कलावती सरन अस्पताल में ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक में से प्रोन्नति, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25,500-81,100 रुपये) में दस वर्ष की नियमित सेवा की है और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विहित किए गए संबन्धित क्षेत्र में दो सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। **टिप्पण :** जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति :** (i) केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारी : (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों ; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (रु. 29,200-92,300) में छः वर्ष की नियमित सेवा की हो; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (रु. 25,500-81,100) में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव रखते हों : (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डिग्री; (ii) सरकारी कार्यालय या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम या स्वायत्त या

			कानूनी निकाय में लेखांकन प्रशासन, स्थापना कार्य का दो वर्ष का अनुभव। **टिप्पण :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काडर बाह्य पदों पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति सीमित है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितयों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल होंगे: 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, कलावती सरन बाल अस्पताल - अध्यक्ष; 2. उप निदेशक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज - सदस्य; 3. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में कलावती सरन बाल अस्पताल के प्रभारी उप निदेशक - सदस्य ; **समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल होंगे:** 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, कलावती सरन बाल अस्पताल - अध्यक्ष; 2. उप निदेशक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज - सदस्य; 3. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में कलावती सरन बाल अस्पताल के प्रभारी उप निदेशक - सदस्य ;	लागू नहीं होता

[फा. सं. ए. 11018/49/2016-एम.एच.-II]

जी. पी. सामंत, अवर सचिव

New Delhi, the 31st October, 2019

G.S.R. 336.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi (Office Superintendent) Recruitment Rules, 1991, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Office Superintendent, Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi (Office Superintendent) Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, level in pay matrix.—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.— No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Office Superintendent	04 (Four)* (2019) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Ministerial	Level-6 in the pay matrix. (Rs. 35400-112400)	Selection

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(6)	(7)
Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years	Promotion failing which by deputation

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion from the post of Upper Division Clerk in Kalawati Saran Children's Hospital with ten years' of regular service in Level-4 (Rs 25,500-81,100) in the pay matrix and have successfully completed mandatory training of two weeks in the relevant field as prescribed by the Ministry of Health and Family Welfare. **Note:** Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying service or two years whichever is less and have	**Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering Promotion) consisting of:** 1. Additional Medical Superintendent, Kalawati Saran Children's hospital -Chairman; 2. Deputy Director, Lady Hardinge Medical College -Member; 3. Deputy Director in charge of Kalawati Saran Children's Hospital in Ministry of Health and Family Welfare. - Member. **Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering Confirmation) consisting of:** 1. Additional Medical Superintendent, Kalawati Saran Children's hospital -Chairman; 2. Deputy Director, Lady Hardinge Medical College -Member; 3. Deputy Director in charge of Kalawati Saran Children's Hospital in Ministry of Health and Family Welfare. - Member	Not applicable.

successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation:** Officer of the Central Government or State Government or Union territories: (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (i) holding the post in Level-5 of the pay matrix (Rs. 29,200-92,300) with six years regular service ; or (ii) holding the post in Level-4 of the pay matrix (Rs. 25,500-81,100) with ten years 'regular service and (b) Possessing the following qualifications and experience: (i) Degree of a recognised University or Institute (ii) 2 years experience in accounts, administration, establishment work in a Government office or public sector undertakings or autonomous body or statutory body. **Note:** Period of deputation including period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. A.11018/49/2016-MH-II]

G. P. SAMANTA, Under Secy.

नई दिल्ली, 31 अक्तूबर, 2019

सा.का.नि. 337.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली में तकनीशियन (डाटा एंट्री) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—